राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (सहायता), टोंक

क्रमांकः आ.प्र.सहा./सीमित निविदा/कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/2024-25/2439 दिनांकः 24/06/2024

मैसर्स राजस्थान रॉयल्स,
गुणावत सदन शंकरपुरा,
जिन्सी, वार्ड नं0 17, टोंक

विषय :- कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की दर अनुमोदित कर कार्यादेश जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निविदा शर्त संख्या 07 के अनुसार निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों में समान दर प्राप्त होने पर आपकी स्थानीय फर्म को प्राथमिकता दिये जाने एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु आपकी स्थानीय फर्म द्वारा प्रस्तुत दरें उपापन समिति द्वारा न्यूनतम पाये जाने पर निम्नानुसार दरें अनुमोदित की जाती है-

क्र.सं.	फर्म का नाम	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी मय संख्या				EPF दर %	ESI दर %	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	कुल राशि
			श्रमिक की श्रैणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मैसर्स राजस्थान रॉयल्स, गुणावत सदन शंकरपुरा, जिन्सी, वार्ड नं0 17, टोंक	कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	8658	01	8658	1125.54	281.38	1.00	1.00	10066.92

1. उक्त कार्यादेश निविदा शर्तों के अध्यधीन जारी किया गया है। अतः निविदा में अंकित शर्तों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी।
2. निविदा में प्राप्त दरें कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 28.02.2025 तक अथवा नवीन निविदा होने तक या कार्य संतोषप्रद होने तक जो भी हो, मान्य होगी।
3. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
4. संवेदक को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि के कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति एवं कुशल श्रमिकों को दिये गये भुगतान की बैंक स्टेमेन्ट की पति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा।
5. अतः आप उपरोक्तानुसार अनुमोदित दरों पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवायें निविदा में अंकित शर्तों के अनुसार उपलब्ध करावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
कलेक्ट्रेट, टोंक

क्रमांकः आ.प्र.सहा./सीमित निविदा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/2024-25/2440 दिनांकः 24/06/2024

प्रतिलिपि : लेखाधिकारी, लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी (सहायता)
कलेक्ट्रेट, टोंक

RajKaj Ref 8262704

Document certified by SURESH CHAUDHARY <ADMTONK@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Suresh Chaudhary
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :24-06-2024 06:16:25